of the Central Government in the National Minorities Development and Finance Corporation. The budget provision for 1996-97 is Rs. 36 crores.

(c) Union Government has released Rs. 50 crores and Rs. 30 crores during 1994-95 and 1995-96, respectively, as Central Government's contribution towards the equity of the National Minorities Development and Finance Corporation.

Statement

Grants by National Minorities Development and Finance Corporation to various States

S.No.	Name of State/UT	Total amount disbursed since inception upto 31.8.1996 (Rs. in lakhs)
1.	Andhra Pradesh	98.00
2.	Haryana	93.45
3.	Jammu & Kashmir	112.83
4.	Karnataka	277.08
5.	Kerala	449.64
6.	Madhya Pradesh	136.30
7.	Maharashtra	582.95
8.	Punjab	91.70
9.	Uttar Pradesh	1469.59

Proposal to invite American investors

3427. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to invite American investors in India;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the manners in which investors as well as people of the country are likely to be protected?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) The Government's efforts, as a part of the on-going liberalisation process to encourage foreign investment, are targetted towards all global investors in general. In addition, country-specific investment promotion is also pursued.

(c) Decision to invest in India by foreign investors largely depend on their entrepreneurial judgements and on the other hand, such investments in India are allowed as per the declared policy guidelines.

देश में भर्ती एजेन्ट

3428. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के लागू होने के पश्चात सरकारी तौर पर पंजीकृत किये गये भर्ती एजेन्टों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या उक्त अधिनियम के अधीन विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराने और भारतीय कर्मियों की सुरक्षा तथा अन्य सेवा शर्तों के संबंध में इन एजेन्टों द्वारा नियमों का पालन न किये जाने के कोई मामले प्रकाश में आये हैं;

(ग) क्या ये एजेन्ट भारतीय कर्मियों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं;

(घ) इन एजेन्टों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है और इनमें से प्रत्येक एजेन्ट द्वारा एकत्र की गई कुल राशि कितनी-कितनी है; और

(ङ) श्रेणी-वार भर्ती एजेन्टों की नियुक्ति के पंजीकरण के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 अधिनियमित किये जाने के बाद से सरकार के पास 2785 भर्ती एजेन्ट पंजीकृत किये गये हैं जिनका राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है (नीचे देखिए)

(ख) से (घ) विदेशों में रोजगार के लिए कर्मकारों को लालच देने और धोखा देने के संबंध में भर्ती एजेन्टों के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जब कभी गलती करने वाले भर्ती एजेन्टों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है तो शिकायत की प्रकृति के आधार पर पुलिस और विदेश स्थित संबंधित भारतीय मिशन की सहायता से इनकी जांच की जाती है। समुचित मामलों में पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित/रद्द करने की कार्रवाई की जाती है। इस समय भर्ती एजेन्टों को प्रत्येक कर्मकार से